क्रम संख्या—116 (क)

पंजीकरण संख्या—UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 27 दिसम्बर, 2022 ई0

पौष 06, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग—3

संख्या 264/XXXi(3)/2022—42/2006

देहरादून, 27 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली, 2006 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:—

उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1, (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2— उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली, 2006(जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नियम 3 के खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्

(ठ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है।

नियम 5 का संशोधन

3— मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के उप नियम (1) के खण्ड (एक) तथा (दो) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(एक) सचिवालय/विधान भवन रक्षक–साठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (दो) चालीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सचिवालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरांचल की हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	(एक) सचिवालय/विधान भवन रक्षक–नब्बे प्रतिशत आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा। (दो) दस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सचिवालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होनें माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

नियम 6 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6– अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल[(उत्तर प्रदेश लोक सेवा)(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	6– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेश के अनुसार होगा।

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

नियम 7 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
7–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है।	7– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:– (क) भारत का नागरिक हो; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या (ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो,जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान,म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या,युगान्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तनजानिया(पूर्व तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह और भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी का एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

म 8 का
धन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

क अर्हता

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरांचल की हाईस्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	8. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

म 9 का
धन

7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने– (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	9.(क) अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने– (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। **9(ख) अनिवार्य/वांछनीय अर्हता** उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा

लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदो पर भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार होगी।

8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

नियम– 10 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 30 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम– 14 का संशोधन

9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
14– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।	14– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

नियम– 30 का संशोधन

10. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 30 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
30– इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।	30–इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **264/xxxi(3)/2022-42/2006,** dated December 27, 2022 for general information:

No. 264/xxxi(3)/2022-42/2006
Dated Dehradun, December 27, 2022

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Secretariat Security Service Rules, 2006, namely :-

THE UTTARAKHAND SECRETARIAT SECURITY SERVICE (AMENDMENT) RULES, 2022

Short title and Commencement	1- (1) These rules may be called the Uttarakhand Secretariat Security Service (Amendment) Rules, 2022 (2) They shall come into force at once.
Amendment of rule 3	2- In rule 3 of the uttarakhand Secretariat Security Service Rules, 2006 (here in after referred to as the principal rules), after clause(k), the following clause shall be inserted, namely- 3(l) "Commision" means the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commision.
Amendment of rule 5	3. In the principal rules, for the existing clause(i) and (ii) of sub rule(1) of rule 5 as set out in Column 1, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing Clause**	**Column-2** **Clause as hereby subsitituted**
(i) Secretariat/Vidhan Bhawan Guard- 60% by direct recruitment.	(i) Secretariat/Vidhan Bhawan Guard- 90% by direct recruitment through commission.
(ii) 40% by promotion from amongst the substantively appointed group "D" employees who have passed High School Examination of the Uttaranchal Secondary Education Board or any other equivalent qualification recongnised by the Government and have completed at least three years service, as such on the first day of the recruitment year.	(ii) 10% by promotion from amongst the substantively appointed group "D" employees who have passed High School examination of the Uttarakhand Secondary Education Board or any other equivalent examination recognised by the Government and have completed at least three years service, as such on the first day of the recruitment year.

Amendment of rule 6

4. In the principal rules, for the existing rule 6 set out in Column 1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby subsitituted**
Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Categories shall be in accordance with the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Public Service) (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 (Adaptation and Modification) order, 2020,as amended from time to time and the orders of the Government in force at the time of recruitment.	6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled castes, Scheduled Tribes, Other Backward class, Economically Weaker Section and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Amendment of rule 7

5. In the principal rules, for the existing rule 7 set out in Column-1 below the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby subsitituted**
A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be a citizen of India	A candidate for direct recruitment to a post in the service must be- (a) a citizen of India, or (b) a Tibetan refugee who came over to india before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in india; or
	(c) a person of Indian Origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania(Formerly Tanganayika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in india;

	Provided that a candidate belonging to category(b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government; Provided further that a candidate belonging to category(b) shall also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand; Provided also that if a candidate belonging to category(c), the certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and such candidate may be retained in service after a period of one year only if he has acquired Indian Citizenship. Note:- A candidate in whose case certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed, subject to the necessary certificate being issued in his favour.

Amendment of rule 8

6. In the principal rules, for the existing rule 8 set out in Column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby subsitituted**
Must have passed High School Examination of Secondary Education Board Uttaranchal or any other equivalent qualification recognised by the Government.	Must have passed Intermediate Examination of Secondary Education Board Uttarakhand or any other equivalent examination recognised by the Government.

Amendment Of rule 9

7. In the principal rules, for the existing rule 9 set out in Column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby subsitituted**
9. A candidate who has:- (i) served in the Territorial Army for a minimum period of two year or (ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, Shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.	9(A) A candidate who has:- (i) served in the Territorial Army for a minimum period of two year or (ii) obtained a 'B' or 'C'certificate of National Cadet Corps. Shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment. 9(B) Compulsary/Preferential Qualification- Shall be in accordance with the provision of The Essential/Desirable qualification for the recruitment of group 'C' Posts within the purview of the Uttarakhand Public Service Commission and outside the Public Service Commission Rules, 2010(as amended from time to time).

Amendment of rule 10

8. In the principal rules, for the existing rule 10 set out in Column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby subsitituted**
10. A Candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not	10- A Candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 30 years on July 1st of the

have attained the age of more than 35 years on July 1st of the calendar year in which the posts are advertised: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the scheduled Tribes and such other categories,as may be notified bey the Government from time to time,shall be higher by such number of years as may be specified.	calendar year in which the posts for direct recruitment are advertised: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time,shall be higher by such number of years as may be specified.

Amendment of rule 14

9. In the principal rules, for existing rule 14 set out in Column-1 below the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby subsitituted**
14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.	**14.** The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the candidates of Economically Weaker Section of Uttarakhand State and other categories under rule 6.

Amendment of rule 30

10. In the principal rules, for existing rule 30 set out in Column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby subsitituted**
30- Nothing in these rules shall affect reservations and other concession required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes of citizens and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard	30- Nothing in these rules shall affect reservations and other concession required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Section and other special categories of persons of Uttarakhand State in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

RADHA RATURI,
Additional Chief Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 सचि0 प्रशा0/04–2023–100+150 (कम्प्यूटर/रीजियो)।